



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

मोहान रोड, लखनऊ- 226 017 दूरभाष नं०-8001930056, 0532-2999862, 2998380-1, 2-3291434 वेबसाइट: <http://dsnrup.nic.in>

प्रेषक

कुलसचिव,

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

- (1). निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2). समस्त विभागाध्यक्षगण,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (3). विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (4). डॉ० संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (5). श्री आशीष गुप्ता,
असिस्टेंट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक 994 / पत्रा.सं०-568 / डीएसएमएनआरयू / वि०परि० / ग्यारहवीं बैठक / 2019-20 दिनांक 13 08.2019

विषय:- डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या-परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2019 की कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा० विद्या-परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 13.08.2019 (मंगलवार) में लिये गये निर्णयों की कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

भवदीय

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के मा० विद्या परिषद की

11वीं बैठक दिनांक: 13 अगस्त, 2019 का कार्यवृत्त

समय-	प्रातः 10:30 बजे
स्थान-	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा० विद्या परिषद की 11वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति सलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा विन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

विन्दु संख्या	कार्यवाही
1/11	विद्या परिषद की दशम् बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा० विद्या परिषद द्वारा दशम् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी, यद्यपि प्रो० पी० राजीव नयन, ललित कला विभाग द्वारा विद्या परिषद की 10वीं बैठक के एजेण्डा विन्दु संख्या- 8/10 के सन्दर्भ में कतिपय लिपिकीय त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में अपना प्रस्तुतिकरण दिनांक 09.08.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिसके निराकरण/परीक्षण हेतु निर्देश प्रदान किया गया। इसी विन्दु पर चर्चा के दौरान प्रो० पी० राजीवनयन द्वारा वर्ष 2018 में मा० कार्य परिषद की 21वीं बैठक में संगीत एवं ललित कला संकाय के समाप्त किये जाने सम्बन्धित निर्णय पर टिप्पणी करते हुए अपना मत अंकित कराया "कार्य परिषद द्वारा संगीत एवं ललित कला संकाय के समाप्त किये जाने हेतु कार्य परिषद का निर्णय कार्य परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर है यह विषय विद्या परिषद का है, इस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है"। उक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त मा० विद्या परिषद द्वारा निर्णय प्रदान किया गया कि प्रकरण को मा० कार्य परिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जाय।
2/11	विद्या परिषद की दशम् बैठक दिनांक 01.06.2019 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा० विद्या परिषद को दशम् बैठक दिनांक 01.06.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया गया।
3/11	ललित कला विभाग में दिनांक 22 जुलाई, 2019 को आहूत अध्ययन मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा० विद्या परिषद द्वारा ललित कला विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 2019 को आहूत अध्ययन मण्डल की बैठक में की गई संस्तुतियों के प्रत्येक विन्दु पर विचार करते हुए यह निर्णय प्रदान किया कि "ललित कला विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के संचालित किये जाने हेतु नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों यथा-परास्नातक स्तर पर ड्राइंग एण्ड पेंटिंग आदि पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में सम्यक् परीक्षण एवं विचार किये जाने हेतु 04 सदस्यीय समिति गठित किये जान जिनमें, विभागाध्यक्ष, ललित कला, अधिष्ठाता, (कला एवं संगीत संकाय) के साथ-साथ 02 बाह्य विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित किये जाने, पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/11	विशेष शिक्षा संकाय के अर्न्तगत दृष्टिबाधितार्थ विभाग में दिनांक 24.07.2019 को आहूत बोर्ड-आफ स्टडीज की बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा० विद्या परिषद द्वारा दृष्टिबाधितार्थ विभाग के दिनांक 24.07.2019 को आयोजित अध्ययन मण्डल की बैठक में की गई संस्तुतियों पर चर्चा करते हुए एम०डी०आई०-401 प्रश्न-पत्र के अर्थों के विभाजन (प्रस्तुतिकरण, प्रकाशन आदि हेतु) हेतु सशोधन के साथ अध्ययन मण्डल की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० अरवि प्रताप सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

5/11	मानसिक मंदितार्थ विभाग के अन्तर्गत संचालित Mental Retardation विभाग/पाठ्यक्रमों के नाम बदल कर Intellectual Disability विभाग/पाठ्यक्रम किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक File No. 3-1/MR/11-RCI/2016 दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Clause (2) of section के अनुसार RCI Approved Training Institutions में संचालित पाठ्यक्रमों एवं उसके Syllabus में Mental Retardation के स्थान पर Intellectual Disability अंकित किए जाने के सुझाव पर अवलोकनोपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/11	विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में। निर्णय:- प्रस्ताव से अवगत होते हुए मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के शैक्षिक सत्र 2019-20 में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर से सम्पादित होने के कारण वर्तमान तक संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट की रिक्तता की स्थिति में सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्था स्वयं के स्तर से रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन हेतु निर्णय प्रदान किया गया:- 1. महाविद्यालय/संस्था के स्तर से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाये, आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि नियत करते हुए 15 दिवस का समय दिया जाय, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। 2. प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए पूर्णतया पारदर्शी तरीके के नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जाय। 3. राज्य सरकार द्वारा आरक्षण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश एवं विश्वविद्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में निर्गत आदेशों का पालन किया जाय। 4. संस्था से जो प्रवेश सम्बन्धी पूर्व से निर्धारित शुल्क आदि विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाता है, प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होते ही डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से समयान्तर्गत जमा किया जाय। 5. प्रवेश सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया 30 अगस्त, 2019 तक पूर्ण करते हुए प्रवेशित विद्यार्थियों का डाटा (हार्ड कापी/साफ्टकापी) प्रत्येक दशा में दिनांक: 10 सितम्बर, 2019 तक संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
7/11	शैक्षिक सत्र 2019-20 में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अद्यतन स्थिति पर चर्चा। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद को विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2019-20 में विभिन्न व्यवसायिक एवं गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रमवार स्वीकृत सीटों के सापेक्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की स्थिति से अवगत हुई, विश्वविद्यालय के कतिपय पाठ्यक्रमों यथा- एम0सी0ए0, एम0एस0सी0 (आई0टी0, रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी आदि), एम0बी0ए0 इत्यादि में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रही। उक्त पर प्रवेश निदेशक (व्यवसायिक एवं गैर-व्यवसायिक) को सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता के साथ समिति का गठन करते हुए यह अपेक्षा की गई कि समिति निम्न बिन्दुओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट कुलपति, विश्वविद्यालय के समक्ष निर्यात प्रस्तुत करेगी- 1. जिन विद्यार्थियों का आवेदन-पत्र प्रवेश पोर्टल पर पंजीकृत हो गया तथा उन्हें पंजीयन नम्बर भी प्राप्त हो गया, किन्तु शुल्क की धनराशि हेतु ट्रांजेक्शन असफल होने के कारण आवेदन नहीं कर पाये थे, यदि वे प्रवेश हेतु निर्धारित कट-ऑफ मेरिट की सीमा में आते हैं तो उनके प्रवेश हेतु गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर लिया जाय। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश कम होने अथवा सीटों की रिक्ति के क्या कारण हैं? 3. विभिन्न पाठ्यक्रमों सीधे प्रवेश हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय को आफलाइन प्रक्रिया से प्रस्तुत आवेदन/प्रार्थना-पत्रों पर। समिति से अपेक्षित है कि आगामी एक सप्ताह के अन्दर समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर अपनी विस्तृत आख्या कुलपति, विश्वविद्यालय को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

8 / 11	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ की काउंसिलिंग से प्रवेश की अद्यतन स्थिति व रिक्त सीटों के भरे जाने के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद शैक्षिक सत्र 2019-20 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की सभी शाखाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या से अवगत हुई, जिसका शाखावार विवरण निम्नवत है- <table><tr><th>क्र0सं0</th><th>ब्रान्च</th><th>अनुमोदित सीटों की संख्या</th><th>प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या</th></tr><tr><td>01</td><td>Computer Science & Engineering</td><td>60</td><td>53</td></tr><tr><td>02</td><td>Civil Engineering</td><td>60</td><td>33</td></tr><tr><td>03</td><td>Mechanical Engineering</td><td>60</td><td>14</td></tr><tr><td>04</td><td>Electrical Engineering</td><td>60</td><td>18</td></tr><tr><td>05</td><td>Electronics&Communication Engineering</td><td>60</td><td>13</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>300</td><td>131</td></tr></table> उपर्युक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय प्रदान किया गया कि "उत्तर प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा (UPSEE) तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) में प्रवेश हेतु निर्धारित कट-ऑफ मेरिट की सीमा में आने वाले विद्यार्थियों का सीधे प्रवेश प्राप्त कर लिया जाय, लेकिन उक्त प्रक्रिया को व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ पारदर्शी एवं नियमानुसार सम्पन्न किया जाय"।	क्र0सं0	ब्रान्च	अनुमोदित सीटों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	01	Computer Science & Engineering	60	53	02	Civil Engineering	60	33	03	Mechanical Engineering	60	14	04	Electrical Engineering	60	18	05	Electronics&Communication Engineering	60	13	Total		300	131
क्र0सं0	ब्रान्च	अनुमोदित सीटों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या																										
01	Computer Science & Engineering	60	53																										
02	Civil Engineering	60	33																										
03	Mechanical Engineering	60	14																										
04	Electrical Engineering	60	18																										
05	Electronics&Communication Engineering	60	13																										
Total		300	131																										
9/11	पुस्तकालय नियमावली पर चर्चा एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद द्वारा पुस्तकालय नियमावली के विभिन्न उपबन्धों पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।																												
10 / 11	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु। (1) केन्द्रीय पुस्तकालय एवं छात्रावासों के नामकरण के सम्बन्ध में। निर्णय:- मा0 विद्या परिषद द्वारा सदस्यों से केन्द्रीय पुस्तकालय एवं छात्रावासों के नामकरण हेतु सुझाव दिये जाने का अनुरोध करते हुए अन्तिम निर्णय हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति का अधिकृत किया गया।																												
अन्य किसी बिन्दु के न आने से बैठक में उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।																													

अन्य किसी विन्दु के न आने से बैठक में उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।


 (अमित कुमार सिंह)
 कुलसचिव
 डॉ० शकुन्तला मिश्रा
 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
 लखनऊ


 (प्रो० आर.के.पी. सिंह)
 कुलपति
 डॉ. शकुन्तला मिश्रा
 राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
 लखनऊ